उत्तराखण्ड शासन,
वित्त अनुभाग–8
संख्या /2017/9(120)/XXVII(8)/2017
देहरादूनः: दिनांकः: 18 अगस्त, 2017

अधिसूचना/संशोधन

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 06 वर्ष 2017) की धारा 11 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग-8 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 518/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 दिनांक 29 जून, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं; अर्थात –

2. उक्त अधिसूचना में,

(i) अनुसूची के क्रम संख्या 45 के स्तम्भ (3) की वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित कर दी जाएगी :

क्र0 सं0	अध्याय / शीर्ष / उपशीर्ष / टैरिफ मद	माल का विवरण
(1)	(2)	(3)
45	0713	शुष्कित फलीदार वनस्पति, कवच युक्त, चाहे त्वचा रहित या विपाटित हैं अथवा नहीं [उनसे भिन्न, जिन्हें किसी यूनिट आधान में रखा गया है और जिनका रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है]

(ii) अनुसूची के क्रम संख्या 148 के स्तम्भ (3) के खंड (छः) में [प्रस्तावित जी.एस.टी. शून्य] विलोपित किया जायेगा।

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव

सं0 663/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 तद्दिनांक।
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–
1– राज्य कर आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से संबंधित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।
2– निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रूड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियॉ इस आशय से प्रेषित कि की इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100–100 प्रतियॉ वित्त अनुभाग–8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
3– विधायी एवं संसदीय कार्य अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4– अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
5– एन0आई0सी0
6– गार्ड फाईल हेतु।

..........अनुभाग
आवश्यक कार्यवाही करें।

4799
21/08/2017

अपर आयुक्त-वाणिज्य कर
उत्तराखण्ड, देहरादून

आज्ञा से,

(हीरा सिंह बसेड़ा)
अनुसचिव

DT:/GST Notification/Amendment in noti.no. 518(25-07-2017)(Hin.&Eng).docx

22/08/2017